प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2015

विषय:-एस0जी0पी0जी0आई0 के पी0एल0ए0 में डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ हेतु जमा धनराशि का आहरण।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक आपके पत्र संख्या-240/डा0रा0म0लो0इं0मे0सा0/वित्त एवं लेखा/2015-16 दिनांक 21-04-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-869/71-2-14-44/2014दिनांक 31-03-2014 द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448 में डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर लखनऊ हेतु रक्षित धनराशि रू0 21,77,50,000/- में से शासनादेश संख्या-2755/71-2-14-44/2014 दिनांक 30-09-2014 द्वारा रू0 5,40,00,000/- (रूपया पॉच करोड़ चालीस लाख मात्र) के आहरण के पश्चात् पी0एल0ए0 में रक्षित अवशेष धनराशि रू0 1637.50 लाख में से रू0 240.17 लाख के आहरण की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

1. उक्त आहरित धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो के लिए किया जायेगा जिन कार्यो के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है। अन्य मदों में खर्च वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
2. किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
3. धनराशि का उपयोग जिन कार्यो के लिए किया जाना है उसका गुण दोष एवं वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता का पूर्ण दायित्व निदेशक, संस्थान का होगा तथा विशिष्टियां, मानक तथा गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान की होगी।
4. शासनादेश संख्या-4428-/71-2-13-आरएम-15/2012 दिनांक 17-1-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का यथावत अनुपालन किया जायेगा।
5. उक्त आहरित धनराशि का उपयोग समस्त वित्तीय क्रय नियमों के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा तथा सम्पूर्ण भुगतान की गयी धनराशि में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे चालान द्वारा राजकोष में जमा कराकर शासन/वित्त विभाग को अवगत कराया जाय।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा कोषागार से आहरण हेतु बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-3/824/दस-2015 दिनांक 11 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-60/1495(1) /71-2-15-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ ।
4. वित्त नियंत्रक, डा0 रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ ।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनु. 2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।